राम चरित्र एवं अन्य आदि

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य आदि

अप्रेल 4, 2007

एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.

दंड सहिता, 1860

चार व्यक्ति, अर्थात् दो अपीलार्थी और अपीलार्थी नं. 1 की पत्नी और अपीलार्थी नं. 2 का पुत्र, पर अपीलार्थी के भाई की विधवा और उसकी दो छोटी बेटियों की उन पर तेजाब फेंक कर हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने चारों को बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय ने दो अपीलार्थियों को आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और शेष दो संदेह का लाभ देते हुए बरी करने की पुष्टि की। 2006 की अपील सं. 329 दो दोषी अभियुक्तों द्वारा दायर की गई थी और अपील सं. 766 दो अन्य अभियुक्तों को बरी किये जाने के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर की गई थी।

दोनों अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने अवधारण किया।

अवधारण- यह सच है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन चार गवाह थे, अर्थात् पीडब्ल्यू 2 से 5, जो पड़ौसी है और जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने आरोपी को पीड़ितों के घर से बाहर निकलते देखा था। अपीलार्थी नं.1 के हाथ में तेजाब की बोतल थी। इन गवाहों और अन्य लोगों ने अभियुक्तों को पकड़ लिया जिनमें अपीलार्थी सं. 1 और 2 और अपीलार्थी सं. 2 की पत्नी थी लेकिन अपीलार्थी सं. 2 का पुत्र भागने में कामयाब रहा। इन चार गवाहों की गवाही सुसंगत है। इस प्रकार मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।

अपीलार्थियों के विरुद्ध मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा होती है।

इन गवाहों का साक्ष्य और मृतकों में से एक की उक्त घोषणा भी है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी नं. 1 ने उन पर तेजाब फेंका था। वर्तमान मामले में, आरोपी के पास मृतक की संपत्ति हड़पने के लिए मृतक को मारने का मजबूत मकसद था। उनकी हत्या करने पर आरोपी मृतक के पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का तत्काल लाभार्थी बन गया।

अभियुक्त के साथ गवाहों की कोई दुश्मनी सबूत से साबित नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ मामूली विरोधाभास उनकी गवाही को विचलित नहीं करते हैं। दो अभियुक्त अपिलार्थियों को दोषी ठहराने और शेष दो अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के उच्च

न्यायालय के दृष्टिकोण से असमत होने का कोई कारण नहीं है। (पैरा 8, 9, 10 और 11, 775 - जी - एच , 776 - बी -डी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 329 वर्ष 2006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपील सं. 2083 वर्ष 1983 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2005 के विरूद्ध।

के साथ

आपराधिक अपील नं. 766 वर्ष 2006

अपीलार्थी की ओर से एस.बी. सान्याल, राजकुमार गुप्ता, श्योकुमार गुप्ता, भानु प्रताप गुप्ता एवं ए.एन. बरदियार।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रमोद स्वाप, इरशाद अहमद, अमित सिंह, डाॅ. आई.बी. गौड़, पियूष शर्मा और निरज दत्ता गौड़

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

मार्कंडेय काटजू, जे.

1. ये दोनों अन्तर्सम्बन्धित अपीलें पंजीबद्ध की गई हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रश्नगत फैसले दिनांक 14.12.2005 में सरकारी अपील सं 2083 वर्ष 1981 के विरुद्ध हैं।

2. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और अभिलेख का अध्यन्न किया।

3. यह घटना 28/29 मार्च 1980 की रात को गांव गायघाट, पुलिस स्टेशन कलवारी, जिला बस्ती में घटित हुई थी। इस मामले में चार आरोपी थे। जिनमें से दो अपीलार्थी रामचरित्र और किशोरी लाल, जो कि रामचेत के भाई थे। अन्य सह अभियुक्त किशोर लाल का पुत्र रामकुमार और अपीलार्थी रामचरित्र की पत्नी चन्द्रावती थे। यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने रामचेत की विधवा सुशीला के साथ उसकी दो छोटी बेटियों बिंदु और नंदिनी की तेजाब फेंक कर हत्या कर दी।

4. निचली अदालत ने अपने फैसले दिनांक 12.05.1981 से सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया परन्तु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ता रामचरित्र और किशोरी लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई लेकिन दूसरे सह-आरोपी सह आरोपी राम कुमार व चन्द्रावती को संदेह का लाभ देकर बरी करने की पुष्टि की।

5. हमने अभिलेख की सामग्री को सावधानीपूर्वक देखा है। आरोप है कि सुशीला और उसके बच्चों की हत्या का मकसद उसकी संपत्ति हड़पना था।

6. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि रात को करीब 3 बजे सुशीला के घर से आई रोने और चिल्लाने की आवाज ने उसके पड़ोसी भगवती पीडब्ल्यू-2, राम दीन पीडब्ल्यू-3, मंगरू पीडब्ल्यू-4, प्रेम नारायण पीडब्ल्यू-5 और अन्य लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने आरोपी राम चरित्र, किशोरी लाल, राम कुमार और चन्द्रावती को मृतक के घर से बाहर निकलते देखा जो उनके अपने घरों के पास था। रामचरित्र के हाथ में तेजाब की बोतल थी। गवाहों को देखकर रामचरित्र ने मृतक के बरामदे में तेजाब की बोतल गिरा दी। बोतल टूट गई और तेजाब फर्श पर बिखर गया।

गवाहों ने आरोपी रामचरित्र, किशोरी लाल और चन्द्रावती को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन राम कुमार भागने में सफल रहा। रामचरित्र ने अपने चेहरे पर कुछ तेजाब लगाया और कुछ अपनी पत्नी आरोपी चन्द्रावती के चेहरे पर गिरा दिया। इसी बीच सुशीला अपनी छोटी बेटी नंदिनी के साथ फर्श पर लुढ़कते हुए बाहर आई और दोनों की अपने दरवाजे के पास ही मौत हो गई। सुशीला की बड़ी बेटी बिंदु को भी तेजाब से बुरी तरह जला दिया था। रोते हुए उसने कहा कि 'बड़ा दादा' ने उन पर तेजाब फेंका था। तेजाब से बुरी तरह जलने के कारण उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाॅं उसकी मौत हो गई।

7. मृतकों की पाॅस्ट माॅर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि चेहरे, छाती, गर्दन आदि सहित उनके शरीर के बड़े हिस्सों पर तेजाब से जलने

की चोटें हैं। डाॅक्टर के अनुसार मौत तेजाब से जलने और सदमे के कारण हुई थी।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। यह सच है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन चार गवाह थे- भगवती पीडब्ल्यू-2, रामदीन पीडब्ल्यू-3, मंगरू पीडब्ल्यू-4, प्रेम नारायण पीडब्ल्यू-5 जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने आरोपियों को सुशीला के घर से बाहर निकलते देखा था। अपीलार्थी रामचरित्र के हाथ में तेजाब की बोतल थी। इन गवाहों और अन्य लोगों ने रामचरित्र, किशोरी लाल और चन्द्रावती को पकड़ लिया लेकिर राम कुमार भाग गया।

9. इन चार गवाहों की गवाही समान है। इस प्रकार अपिलार्थियों के विरुद्ध ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद है। साक्ष्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है और इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गये दृष्टिकोण से सहमत हैं। चिकित्सीय साक्ष्य इन गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं और सुशीला की बड़ी बेटी बिंदु की मृत्यु घोषणा भी है।

10. वर्तमान मामले में आरोपी के लिए मजबूत मकसद था कि संपत्ति हड़पने के लिए मृतकों को समाप्त कर दे। उनकी हत्या करने पर आरोपी

मृतक सुशीला के पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के तत्काल लाभार्थी बन गए।

गवाहों की अभियुक्त के साथ कोई दुश्मनी साबित नहीं हो सकी, इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि कुछ मामूली विरोधाभास उनकी गवाही को नहीं हिलाएंगे। इस प्रकार हम राम चरित्र और किशोरी लाल की अपील खारिज करते हैं।

11. राम कुमार को बरी किये जाने के खिलाफ राज्य की अपील के संबंध में राम कुमार और चन्द्रावती को उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ दिया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

12. इस प्रकार दोनों अपीलों में कोई बल नहीं है और दोनों को खारिज कर दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्रशेखर पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।